

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 56 / सी / क्रय-सुर0 / 2009-10
05 ,2009

दिनांक लखनऊ नवम्बर

आदेश

बजाज हिन्दुस्थान लि0, बिलाई जनपद बिजनौर परिक्षेत्र-मुरादाबाद की पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत माँग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1244 / सी / क्रय / ग0आ0 / 2009-10 दिनांक 16.09.2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या-1245 / सी / क्रय / ग0 आ0 / 09-10 दिनांक 16.9.2009 द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 116.20 लाख कुन्तल विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन)अधिनियम-1953 की धारा-15 अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।"

गत वर्ष बजाज हिन्दुस्थान लि0, बिलाई जनपद बिजनौर ने दिनांक 27.11.2008 को पेराई प्रारम्भ कर दिनांक 24.3.2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 118 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 101.11 ला0कु0 गन्ना उत्पादन में से लगभग 47 प्रतिशत झाल करते हुए 47.03 ला0कु0 गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी मिल उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करे एवं ऐसी प्रबन्धकीय तकनीकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें,जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 15.9.2009 को गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में मुरादाबाद परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009-10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एवं गन्ना आपूर्ति के संबंध में सुनवाई की गई।

विगत वर्षों में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **23.24 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति,यातायात की सुविधा,गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति,गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आँवटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **105.45 लाख कु0** गन्ना उत्पादन का आँवटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के जनपद बिजनौर में गन्ने की औसत उपज **538.44 कुन्तल प्रति हेक्टेयर** है,जो कि पेराई सत्र 2008-09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्राप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी संबंधित को इस कार्यालय के पत्र संख्या-950/सी/कय /ग0आ0 दिनांक 12-6-2009 द्वारा संसूचित की गई है,जिसके आधार पर **105.45 लाख कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल **19581 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों,गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने,चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, सुधीर एम. बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम- 1953 की धारा-15, उ0प्र0 गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-22 एवं गुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 की उप धारा-6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुये संलग्न तालिका के खण्ड-1 (क) एवं (ख) में अंकित क्रय केन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009-10 के लिये बजाज हिन्दुस्थान लि0,बिलाई जनपद बिजनौर, परिक्षेत्र-मुरादाबाद को सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ तथा खण्ड-2 में इंगित क्रयकेन्द्रों को उनके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल,धामपुर एवं स्योहारा को अभ्यर्पित करता हूँ तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर संबंधित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4(1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहकारी विकास गन्ना समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों, तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

बोबडे)

उत्तर प्रदेश

(सुधीर एम.

गन्ना आयुक्त,

टिप्पणी

1. इस व र्ग जिन नये क्रयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रयकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ ाक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय, एक से अधिक क्रयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय।
2. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रयकेन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला

गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे ।

3. यदि पेराई सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो राजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था ।
4. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेगीं उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
5. चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 के खण्ड-3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा ।

(सुधीर एम. बोबडे)

गन्ना आयुक्त, उत्तर
प्रदेश

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 56 / सी / क्रय-सुर0 / 2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर
05 , 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश हासन,
बापू भवन, लखनऊ ।

2. सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ०प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कर्तव्य करें ।
3. निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कर्तव्य करें ।
5. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त ।
6. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें ।
7. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखें तथा यथा निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
8. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां ।
9. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें ।

(डा० कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर
प्रदेश ।

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-1(क)

क्र० स०	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कुं०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यवित्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धामपुर/हल्दौर	मिलगेट	0	5779	31.12	सुरक्षित	
2	धामपुर	धींगरपुर	12	200	1.08	सुरक्षित	
3		रूगड़ी-प्रथम	15	320	1.72	सुरक्षित	
4		बिलासपुर-प्रथम	11		0.00	सुरक्षित	
5		पपसरा(फेजपुरद्वितीय)	21	107	0.58	सुरक्षित	
6		नसीरपुर बुजुर्ग	17	273	1.47	सुरक्षित	
7		बेगराजपुर	6		0.00	सुरक्षित	
8		गिलाड़ी	16	73	0.39	सुरक्षित	
9		ढकौली	16	77	0.41	सुरक्षित	
10		फलौदी	14	150	0.81	सुरक्षित	
11		इब्रहीमाबाद	15	102	0.55	सुरक्षित	
12		महमूदपुर मिलक	11	136	0.73	सुरक्षित	
13		जलालपुर तुर्क	16	120	0.65	सुरक्षित	
14		नवादा चौहान	17	150	0.81	सुरक्षित	
15	हल्दौर	हल्दौर-द्वितीय	20	186	1.00	सुरक्षित	
16		बाटपुरा	20	140	0.75	सुरक्षित	
17		बल्दिया-द्वितीय	18	56	0.30	सुरक्षित	
18		बिसाठ-प्रथम	16	141	0.76	सुरक्षित	
19		कड़ापुर	21	100	0.54	सुरक्षित	
20		वाजिदपुर	21	164	0.88	सुरक्षित	
21		हरदासपुर गढी	25	145	0.78	सुरक्षित	
22		अतापुर उर्फ खतापुर	19	139	0.75	सुरक्षित	

	योग		8558	46.08		
--	-----	--	------	-------	--	--

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-1(क)

क्र० स०	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कुं०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
23	हल्दौर	बल्दिया-प्रथम	22	113	0.61	सुरक्षित	
24	बिजनौर	गंज-द्वितीय	30	125	0.67	सुरक्षित	
25		फतेहपुर असल	32	66	0.36	सुरक्षित	
26		हासमपुर-प्रथम	11	387	2.08	सुरक्षित	
27		हासमपुर-द्वितीय	13	104	0.56	सुरक्षित	
28		शुमालखेड़ी (नया)		0	0.00	सुरक्षित	हासमपुर- II को विभाजित कर
29		लक्खूवाला	22	162	0.87	सुरक्षित	
30		बरुकी-प्रथम	27	100	0.54	सुरक्षित	
31		शाहपूर सैदू	15	70	0.38	सुरक्षित	
32		बरुकी-द्वितीय	28	70	0.38	सुरक्षित	
33		धौकलपुर	30	223	1.20	सुरक्षित	
34		धर्मपुरा	11	136	0.73	सुरक्षित	
35		सिकन्दरी	31	167	0.90	सुरक्षित	
36		झालू	8	231	1.24	सुरक्षित	
37		उमरी-प्रथम	11	194	1.04	सुरक्षित	
38		रावनपुर	31	254	1.37	सुरक्षित	
39		दरगोपुर नंगली	31	206	1.11	सुरक्षित	
40		नवादा तुला	14	183	0.99	सुरक्षित	
41		खरक	26	216	1.16	सुरक्षित	
42		चन्दनपुरा	25	241	1.30	सुरक्षित	

43		कुतुबपुरी गढी	24	190	1.02	सुरक्षित	
44		छोईया नंगली	14	117	0.63	सुरक्षित	
		योग		3555	19.14		

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यवित
1	2	3	4	5	6	7	8
45	बिजनौर	गडाना	27	142	0.76	सुरक्षित	
46		बाकपुर	30	217	1.17	सुरक्षित	
47		पमडावाली	31	114	0.61	सुरक्षित	
48		नवादा सिखेडा	27	151	0.81	सुरक्षित	
49		सहसूवाला	30	45	0.24	सुरक्षित	
50		जहानाबाद	30	334	1.80	सुरक्षित	
51		छोईया नंगली-द्वितीय	23	47	0.25	सुरक्षित	
52		अम्हेड़ा	22	388	2.09	सुरक्षित	
53		खैराबाद	24	210	1.13	सुरक्षित	
54		गांगू नंगली	24	153	0.82	सुरक्षित	
55	हल्दौर	ननुपुरा	22	195	1.05	सुरक्षित	
56		फरीदपुर सदीरन	20	191	1.03	सुरक्षित	
57	बिजनौर	गधैली	30	195	1.05	सुरक्षित	वरकातपुर मिल से वापस
58		शादीपुर-प्रथम	28	185	1.00	सुरक्षित	..
59		शादीपुर-द्वितीय	28	189	1.02	सुरक्षित	..
60	बिजनौर	महेश्वरीजट-प्रथम	24	135	0.73	सुरक्षित	बुन्दकी चीनी मिल से वापस
61		गांवडी	18	126	0.68	सुरक्षित	धामपुर चीनी मिल से वापस

62		मलकपुर देहरी	20	204	1.10	सुरक्षित	..
63		पहरूवाला	21	107	0.58	सुरक्षित	..
64		छाछरी	29	245	1.32	सुरक्षित	..
65		बितरौला-प्रथम	35	164	0.88	सुरक्षित	..
66		बितरौला-द्वितीय	37	212	1.14	सुरक्षित	..
		योग		3949	21.26		

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
67	बिजनौर	सैदाबाद	31	240	1.29	सुरक्षित	धामपुर चीनी मिल से वापस
68		सबदलपुर	32	137	0.74	सुरक्षित	..
69		रेहरा	30	310	1.67	सुरक्षित	..
70		उलेढा	26	315	1.70	सुरक्षित	..
71		झाल	24	211	1.14	सुरक्षित	..
72	नूरपुर	जलावदीपुर	24	81	0.44	सुरक्षित	..
73	चान्दपुर	सीकरी	39	99	0.53	सुरक्षित	..
74	हल्दौर	खेड़ा अजीज	23	174	0.94	सुरक्षित	स्योहारा चीनी मिल से वापस
75		मण्डौराजट	23	118	0.64	सुरक्षित	..
76		नसीरपुर नैनसिंह	21	144	0.78	सुरक्षित	..
77		शेरपुर	21	129	0.69	सुरक्षित	..
78		पुटठा	40	200	1.08	सुरक्षित	..
79		किनान उर्फ कल्यान	21	119	0.64	सुरक्षित	..
		योग		2277	12.26		
		योग सुरक्षित		18339	98.74		

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)
बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-1(ख)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	निजामतपुरा-प्रथम	32	57	0.31	अभ्यर्पित	बिजनौर चीनी मिल से
2		निजामतपुरा-द्वितीय	32	57	0.31	अभ्यर्पित	"
3		गंगदासपुर	26	212	1.14	अभ्यर्पित	"
4		जुड्डी	25	138	0.74	अभ्यर्पित	"
5		भगौन	25	220	1.18	अभ्यर्पित	"
6		महेश्वरीजट-द्वितीय	24	154	0.83	अभ्यर्पित	बुन्दकी चीनी मिल से
7	चान्दपुर	गन्धौर-प्रथम	32	77	0.42	अभ्यर्पित	धामपुर चीनी मिल से
8		गन्धौर-द्वितीय	32	68	0.38	अभ्यर्पित	"
9	बिजनौर	ढोलनपुर	30	166	0.89	अभ्यर्पित	"
10		मिर्जापुर	31	93	0.50	अभ्यर्पित	"
		योग अभ्यर्पित		1242	6.71		
				19581	105.45		

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)
बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धामपुर	मिर्जापुर	25	134	0.72	अभ्यर्पित	धामपुर चीनी मिल को
2		पालीफजलअलीपुर	25	65	0.35	अभ्यर्पित	..
3		बूढ़पुर	23	197	1.06	अभ्यर्पित	..
4		मण्डौरा विप	21	227	1.22	अभ्यर्पित	..
5		सीकरी बुजुर्ग	13	433	2.33	अभ्यर्पित	..
6	नूरपुर	नरायनखेड़ी-प्रथम	20	94	0.51	अभ्यर्पित	..
7		नरायनखेड़ी-द्वितीय	20	73	0.39	अभ्यर्पित	..
8		मंगोलपुरा	29	131	0.71	अभ्यर्पित	..
9		खासपुरा	26	181	0.97	अभ्यर्पित	..
10		अहीपुरा-द्वितीय	27	85	0.46	अभ्यर्पित	..

11		फजलपुर ढाकी	26	127	0.68	अभ्यर्पित	..
12		ओलियापुर रसूलपुर	26	122	0.66	अभ्यर्पित	..
13		अथाई जमरूदीनपुर-द्वितीय	21	24	0.13	अभ्यर्पित	..
14		रामपुर बिडार-द्वितीय	29	117	0.63	अभ्यर्पित	..
15		पैजनिया-प्रथम	28	226	1.22	अभ्यर्पित	..
16		महमदाबाद	20	198	1.07	अभ्यर्पित	..
17		महमूदपुर बुजुर्ग	21	191	1.03	अभ्यर्पित	..
18		अथाई जमरूदीनपुर-प्रथम	20	111	0.60	अभ्यर्पित	..
19		दबखेडी	34	183	0.99	अभ्यर्पित	..
20		रामपुर बिडार	34	58	0.31	अभ्यर्पित	..
21	चान्दपुर	बलिया नंगली	41	205	1.10	अभ्यर्पित	..
22		बेरखेडा-प्रथम	44	86	0.46	अभ्यर्पित	..
		योग		3268	17.60		

पत्रांक 56/सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

बजाज हिन्दुस्थान लि0,इकाई-बिलाई,जनपद-बिजनौर,परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड-2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
23	चांदपुर	नारनौर-प्रथम	49	249	1.34	अभ्यर्पित	धामपुर चीनी मिल को
24		नारनौर-द्वितीय	48	479	2.58	अभ्यर्पित	
25		नाईपुरा	34	83	0.45	अभ्यर्पित	..
26		मुढाल	34	315	1.70	अभ्यर्पित	..
27		लदुपुरा	35	152	0.82	अभ्यर्पित	..
28		बेरखेडा-द्वितीय	44	79	0.43	अभ्यर्पित	..
29		ककराला	45	175	0.94	अभ्यर्पित	..

30	बिजनौर	हीमपुर	19	53	0.29	अभ्यर्पित	..
31	हल्दौर	शरीफपुर	26	86	0.46	अभ्यर्पित	..
32		धनौरी	24	68	0.37	अभ्यर्पित	..
33	हल्दौर	पावटी	24	128	0.69	अभ्यर्पित	..
34		ताहरपुरमद्द इमाम	30	120	0.65	अभ्यर्पित	..
35	बिजनौर	टांकली	32	103	0.55	अभ्यर्पित	
36		गंगावाला टांकली	32	158	0.85	अभ्यर्पित	..
37		सुनपता	18	250	1.35	अभ्यर्पित	..
38	चान्दपुर	हीमपुरदीपा-द्वितीय	28	190	1.02	अभ्यर्पित	स्योहारा चीनी मिल को
39		जौगीऔन्धा-द्वितीय	29	69	0.37	अभ्यर्पित	..
40		माडी	30	202	1.09	अभ्यर्पित	..
41		हीमपुर दीपा-प्रथम	28	108	0.58	अभ्यर्पित	..
42		जोगीऔन्धा-प्रथम	32	166	0.89	अभ्यर्पित	..
		योग		3233	17.41		
		कुल योग		6501	35.00		